[2026:RJ-JP:33800]

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 6793/2026
CNR: RJHC020389932026 | URN: CRLMB / 12278U / 2026

Mahendra Singh Shekhawat S/o Late Bagdawat Singh, Aged About 57 Years, R/o Village And Post Bada Ki Dhani, Tehsil Khetri, Police Station Copper, District Jhunjhunu, At Present R/o Plot No. 61, Aman Vihar, Sirsi, Police Station Karni Vihar, District Jaipur. (At Present in Central Jail, Jaipur.)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajesh Kumar Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP Mr. Mahesh Gupta, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

21/08/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना चौमूं, जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 300/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 406, 467, 468, 471, 120बी व 420 भारतीय दण्ड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। घटना मार्च, 2019 की बतायी गयी है, जबकि घटना की रिपोर्ट वर्ष 2025 में दर्ज करवायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने नवभारत गृह

निर्माण सहकारी समिति के पट्टों पर हस्ताक्षर किये हैं, क्योंकि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त समिति का अध्यक्ष है। उक्त पट्टों पर प्रार्थी/अभियुक्त के हस्ताक्षर नही हैं, ना ही उसने कोई फर्जी व कूटरचित आवंटन पत्र व साईट प्लान तैयार किये हैं और ना ही परिवादी नाथूलाल कुमावत से कोई राशि प्राप्त की है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 13.03.2026 से अभिरक्षा में है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। इस न्यायालय द्वारा वर्तमान प्रकरण के समान प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 17045/2025 में पारित आदेश दिनांक 26.02.2026 द्वारा अभियुक्त की जमानत स्वीकार की है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक व विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त नवभारत गृह निर्माण सहकारी समिति का अध्यक्ष है और उसके द्वारा फर्जी व कूटरचित पट्टे जारी किये गये हैं, उसके विरुद्ध 16 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, पुलिस ने उसके विरुद्ध आरोपित अपराध साबित माने हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध तथा उसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्र के संबंध में उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में चंद्रभान, हंसराज सैनी, महेन्द्र सिंह व रामस्वरूप नाम के व्यक्तियों द्वारा परिवादी को ग्राम जाहोता की भूमि के संबंध में खसरा नंबर 2090, 2088, 2091 में रॉयल रेजीडेन्सी के नाम से आवासीय स्कीम होना बताते हुए भूखण्ड संख्या 43 का 16,25,000/– रुपये में विक्रय किया जाना व सोसायटी का पट्टा दिया जाना बताया गया है तथा उक्त प्लॉट के भुगतान

के पेटे 10 लाख रुपये चंद्रभान व हंसराज को अदा किया जाना बताया गया है एवं नवभारत गृह निर्माण सहकारी समिति का आवंटन पत्र, साईट प्लान व रसीद शुल्क भुगतान के संबंध में दिया जाना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को नवभारत गृह निर्माण सहकारी समिति का अध्यक्ष होना व उसके द्वारा आवंटन पत्र व साईट प्लान जारी किया जाना बताया गया है। इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी ने लचर अनुसंधान किया है और अनुसंधान के दौरान मूल आवंटन पत्र, नक्शा व रसीद तथा प्रार्थी/अभियुक्त के हस्ताक्षर का मिलान करने के संबंध में वादग्रस्त एवं विवादरहित दस्तावेजों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं भेजा गया है। ऐसी स्थिति में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बिना इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने नवभारत गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में फर्जी व कूटरचित आवंटन पत्र तैयार किया हो। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 13.03.2026 से अभिरक्षा में है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, विचारण में समय लगेगा।

यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में 16 आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं, तथापि Prabhakar Tewari Vs. The State of Uttar Pradesh; AIRONLINE 2020 SC 96 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धांत के अनुसार केवल मात्र पूर्व में आपराधिक प्रकरण लंबित होने के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के

तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को सशर्त जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **महेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र स्व. बगड़ावत सिहं** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे निम्न शर्तों के अधीन हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावेः–

1. जमानत पर आजाद होने के 7 दिवस के अंतर्गत प्रार्थी/अभियुक्त अपना वर्तमान पता एवं मोबाइल नंबर, जो वह उपयोग में ले रहा है, उसका विवरण संबंधित थानाधिकारी को उपलब्ध कराएगा व संबंधित थानाधिकारी उक्त पते व मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त अपने वर्तमान पते व मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन करता है, तो उसकी सूचना भी तुरंत प्रभाव से संबंधित थानाधिकारी एवं संबंधित न्यायालय को देगा।

2. प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन (अवकाश होने पर अगले दिन) संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा।

3. यदि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है या ऐसे किसी अपराध की पुनरावृत्ति करता है या उसमें लिप्त पाया जाता है, तो संबंधित

लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को अनुपालना हेतु भेजी जावे तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP (Criminal) No. 04/2021 In Re Policy Strategy for Grant of Bail & SLP (Cri.) No. 529/2021 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2023 की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त को सूचित करने हेतु इस आदेश की प्रति संबंधित कारागृह को जरिये ईमेल प्रेषित की जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI/15